



राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



क्रमांक: प1(1)कार्मिक/बोमी/परिचलन प्रस्ताव सं.242/2017/791

दिनांक : 14/6/17

प्रस्ताव (RESOLUTION) संख्या-242/2017

वस्तु एवं सेवाकर (GST) में पंजीयन एवं अन्य औपचारिकताओं के लिये 2 अधिकारियों को मण्डल द्वारा नामित करने संबंधी प्रस्ताव संख्या 242/2017 परिचलन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

उक्त संदर्भ में माननीय संचालक मण्डल सदस्यों की 4/5 बहुमत से सहमति प्राप्त हो जाने पर एतद्द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर निम्न 02 अधिकारियों को GST कानून के लिये अधिकृत किया जाता है :-


क्र.स.	नाम	पदनाम
1.	श्री कैलाश चन्द मीणा	मुख्य अभियन्ता
2.	श्री मुकेश कुमार ठोलिया	वरिष्ठ लेखाधिकारी

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभि०-मु०/1/II, रा.आ.मं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. माननीय संचालक मण्डल सदस्य- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल/अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल/मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/निदेशक विधि/मुख्य संपदा प्रबन्धक/उप सचिव/सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-1/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, क्यूसी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
9. समस्त प्रकोष्ठ, मुख्यालय
10. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक

RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR

No. 792

Date 14/6/17

Resolution by Circulation

Vide Agenda item no. 242/2017, 'RESOLVED THAT' pursuant to section 166 of Goods and Service Tax Act and other applicable provisions read with rules made there under, the consent of the Board of Rajasthan Housing Board be and is hereby accorded to the migration of registration of the Rajasthan Housing Board under Finance Act, 1994 to Goods and Services Tax Act.

FURTHER RESOLVED THAT FOLOWING OFFICERS OF THE BOARD

S. No.	Name	Post
1	Sh. Kailash Chand Meena	Chief Engineer
2	Sh. Mukesh Kumar Tholia	Senior Account Officer

be and is hereby severally authorised to sign, execute move and file necessary papers documents and do all necessary actions required for above mentioned purpose and shall be authorized signatory for all the purpose of Goods and Services Tax act.


Secretary

Rajasthan Housing Board
Jaipur.